न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 54/2020 निर्णय दिनांक :–

उनवान

1. विशन सिंह पुत्र गणपत सिंह
2. शिवराज सिंह पुत्र भरत सिंह
3. इन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह
4. महेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह
5. मोती सिंह पुत्र भरत सिंह
6. जयराज सिंह पुत्र रूप सिंह
7. भवानी सिंह पुत्र मोहन सिंह
8. रविना कंवर पुत्री मोहन सिंह
9. सुमन कंवर पत्नि मोहन सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी– ग्राम ताजखां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. गोपाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह
2. जसवंत सिह पुत्र गोपाल सिंह
3. रामसिंह पुत्र गोपाल सिंह
4. माधोसिंह पुत्र सरजन सिंह
5. जगदीश सिंह पुत्र जोरावर सिंह
6. हनुमान सिंह पुत्र जोरावर सिंह
7. प्रेम कंवर पत्नि जोरावर सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जः

समस्त जाति राजपूत, निवासी– ग्राम ताजखां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राज0।

8. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

9. उप पंजीयक कोटखावदा तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर

––अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्र्तगत 212 रा.टे.ए</u>

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त शीर्षकीय वाद श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थीगण ने विधिवत प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। अराजी खसरा नं 105 रकबा 1.59 है0 वाके ग्राम ताज खां का बास, पटवार हल्का महादेवपरा, भू.अभि. निरक्षण क्षेत्र रूपाहेडी कलां, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही वंश व खानदान के व्यक्ति है जो हिन्दु विधि से शासित होते है जिनका सजरा खानदान अंकित है। खातेदार गणपत सिह के पांच पुत्र कमश गुलाब सिंह , सुरजन सिंह,रूपसिंह, [illegible] सिंह, हुये, गुलाब सिंह, की मृत्यु हो गई जिसके वारिसान महा[illegible] अप्रार्थी सं. 01 व 02 है, सुरजन सिंह के दो पुत्र जोरावर सिंह व माधौसिह हुये जिनमें जोरावर सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

की मृत्यु की गई जिसके वारिसान अप्रार्थी सं. 04 लगायत 07 है। रूपसिंह की मृत्यु हो गई जिसके वारिसान जयराज सिंह व मोहनसिंह है। जिनमें मोहनसिंह की मृत्यु हो गई जिसके वारिसान प्रार्थी सं. 06 लगायत 09 है। विशन सिंह जी जीवित है जो प्रार्थी सं. 01 है तथा भगतसिंह के वारिसान प्रार्थी सं. 02 लगायत 05 है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के अन्य सभी भूमिया अपने हिस्सेनुसार अर्थात 1/5–1/5 भाग पर काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से की उपज का उपयोग व उपभोग करते है तथा लगन अदा करते है। गणपत सिंह की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सं0 01 व 02 के पिता गुलाब सिंह सयुक्त हिन्दू परिवार के कर्त्ता खानदान रहे तथा कर्ता खानदान की हैसियत से सभी कारगुजारिया करने लगें। अप्रार्थी सं. 01 व 02 के पिता ने सभी भाईयों से सारे तथ्य छुपाते हुये विवादित आराजी बेईमानी पूर्वक अपने नाम लगवा ली जिसका अप्रार्थी सं. 01 व 02 के पिता का कानूनन कोई अधिकार नही था। जब गुलाग सिंह ने अपने नाम खातेदारी लगवाई उस समय प्रार्थी सं. 01 व प्रार्थ सं. 02 लगायत 05 के पिता भरत सिंह नाबालिक थे, उनकी नाबालिकी का फायदा उठाकर उपरोक्त कृत्य को अंजाम दिया गया। प्रार्थी सं. 01 ने बालिक होने पर अप्रार्थी सं0 01 व 02 के पिता से उनका हिस्सा लगाने बाबत कहता रहा तो हर बार आश्वासन देकर टलता रहा तथा कहा कि जल्द ही तहसील में चलकर तुम्होर नाम खातेदारी लगा दूंगा। गुलाब सिंह की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सं. 01 व 02 की नीयत में फितुर व बेईमानी आ गई तथा वह प्रार्थीगण को जबरन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

बेदखल करने एवं विवादित आराजी का बेचान दीगर व्यक्तियों को करने पर आमादा है। दिनांक 10.03.2020 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 01 व 02 से उनके निस्फ हिस्से की रजिस्ट्री कराने बाबत कहा तो आनाकानी करने लगा तथा कहा कि यह भूमि हमारे नाम है, हम तुम्हारे नाम नहीं करवायेगे तथा शीघ्र ही उपरोक्त भूमि को लाठी वाले लोगो को बेचान करेगे जो तुम्हे बेदखल कर स्वंय कब्जा कर लेगें। प्राथीगण के लिये आवश्यक हो गया कि वह अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावें तथा अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करावें तथा अप्राथीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि यह विवाविद आराज का रहन, बय, बेचान आदि नही करें। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो वे अपने नापाक इरादें में कामयाब हो जायेगे जिससे प्रार्थीगण को अपूंतिनीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन प्राथीगण के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वो प्रार्थना पत्र के मद नं. 02 में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही करें, बैचान नही करे, ना ही रहन, दान, बय, हस्तान्तरण आदि करे, प्रार्थीया के उपयोग व उपभोग में बाधा न डाले तथा अप्रार्थी सं. 08 राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादी सं. [illegible] विवादित आराजी के किसी भी प्रकार के दस्तावेजो का पंजीयन नहीं करें। [illegible] तो स्वय करे, ना ही अपने एजेन्ट, सवेन्ट आदि से करावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जारी की गयी तो अप्रार्थी द्वारा हाजीर अदायत होकर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर शीघ्र सुनवाई चाही जाने पर प्रार्थीगण को शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 02.07.2020 को नोटिस जारी किये गये जिस प अप्रार्थीगण हाजीर आये व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रा. पत्र पेश किया गया जो प्रा. पत्र का जवाब अप्रार्थी सं 1 से 3 ने इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद नं 01 में प्रार्थीगण को सफलता मिलना कल्पना मात्र है उसके कोई सुदृड अधिकारों पर प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 02 में वर्णित भूमि होना स्वीकार है तथा बाकी तथ्य गलत होने से अस्वीकार है उक्त भूमि पैतृक भूमि नही है बल्कि वादग्रस्त भूमि तो अलोटमेन्ट भूमि है अप्रार्थी सं. 01 के पिता गुलाब सिंह को अलोट हुई थी। अप्रार्थी सं. 01 के पिता गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद भूमि गोपाल सिंह व महावीर सिंह के नाम आ गई और महावीर सिंह ने भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 02 व 03 जसवंत सिंह, रामसिंह को दिया। इस कारण प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है तथा उक्त भूमि स्वअर्जित भूमि है। प्रार्थना पत्र का मद न 03 में जिस प्रकार सजरा खान दर्शाया गया है। वो स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का मध्य नंबर 4 जानकारी के अभाव अस्वीकार है प्रार्थना पत्र के मद संख्या 05 में वर्णित तथ्यों गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी गण का यह कहना गलत है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सेनुसार 1/5–1/5 पर काबिज काश्त करते हुए अपने हिस्से की उपज का उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपभोग करते आ रहे हैं बल्कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही है अप्रार्थी काबिज काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थना पत्र मद नं 06 में वर्णित तथ्य गलत है कि अप्रार्थी सं 01 व 02 के पिता ने सभी भाइयों से सारे तथ्य छुपाते हुए विवादित भूमि अपने नाम करवा ली बल्कि उक्त भूमि तो अप्राथी संख्या 01 के पिता के नाम अलोट हुई है प्रार्थना पत्र का मद संख्या 07 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी गण का यह कहना गलत है कि प्रार्थी के पिता गुलाब सिंह ने वादी गण के नाम भूमि लगाने की बात कही जब उक्त भूमि में वादी गण का कोई हक व हिस्सा नही तो प्रार्थी गण के नाम लगवाने का प्रश्न ही नहीं है प्रार्थना पत्र के मद संख्या 08 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी उक्त भूमि को दीगर बेचान करने पर आमादा है। जब भूमि ही अप्रार्थी के नाम हो तो उसे अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने पूरा पूरा हक व अधिकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 09 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है चूंकि उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम होने से उन्हे उक्त भूमि बेचना का पूरा हक व अधिकारी प्राप्त है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 10 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि वह अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावे जब उक्त भूहि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है तथा ना ही प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। कानून एक रिकॉडेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता सकता है यदि अप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)